


कार्यालय: निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर  
E mail: dirndbr-forest-uk@nic.in Off. ph.& fax.no.. 01372252497



पत्रांक 2805 / 12-1

गोपेश्वर

दिनांक

29

अप्रैल

2015

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, इन्दिरानगर  
फोरेस्ट कॉलोनी, देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.35 है0 वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा ऑन-लाइन प्रेषित प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र, भाग-3 में आख्या अंकित कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(एस.एस.रसाईली)

निदेशक/वन संरक्षक  
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

पत्रांक /

दिनांकित।

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस.एस.रसाईली)

निदेशक/वन संरक्षक  
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

पत्रांक /

दिनांकित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 पोखरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस.एस.रसाईली)

निदेशक/वन संरक्षक  
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।



भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.35 है० वन भूमि हस्तान्तरण

14	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं*
15	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	इस प्रस्तावित मोटर मार्ग का निरीक्षण उप वन संरक्षक केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा दि० 26.03.2015 को किया गया। मोटर मार्ग के संरेखण में प्रतिबन्धित बांज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अतः वन संरक्षक द्वारा मोटर मार्ग के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माण कार्य से प्रभावित वन भूमि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य वन भूमि एवं वृक्ष प्रजाति प्रभावित न होने पावे तथा निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे का निस्तारण सावधानी पूर्वक निर्धारित स्थान (डम्पिंग साईट) पर किया जाय।

\*नोट:- इस मोटर मार्ग के संरेखण में प्रतिबन्धित बांज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अतः वन संरक्षक द्वारा मोटर मार्ग के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

तिथि...29-4-15

स्थान-गोपेश्वर।

(एस.एस.रसाईली)

निदेशक/वन संरक्षक

नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

28